भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/43/2018 दिनांक : 08 जून, 2018

प्रेस नोट

विषय : 2- कैराना और 11- भन्डारा - गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन के दौरान वीवीपीएटी का खराब हो जाना।

दिनांक 28 मई, 2018 को 2- कैराना और 11- भन्डारा - गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन के दौरान, छद्म मतदान एवं वास्तविक मतदान के दौरान, कुछेक वीवीपीएटी मशीनों के खराब होने की सूचना मिली थी। मशीनें खराब होने के कारणों का पता लगाने के लिए आयोग ने दो विशेष दलों को तैनात किया था। आयोग को प्रस्तुत की गई प्रारम्भिक तथ्यात्मक जांच परिणाम रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि मशीनों के खराब होने के दो मुख्य तकनीकी कारण थे, जो नीचे दिए गए हैं:-

1. कंट्रास्ट सेंसर का खराब होना (त्रुटि 2.2)
2. लेंथ सेंसर का खराब होना (त्रुटि 2.4)

उपर्युक्त खराबी मुख्य रूप से मतदान केन्द्र में तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण हुई।

आयोग ने विनिर्माताओं तथा तकनीकी विशेषज्ञ समिति से कहा है कि वे भविष्य में तापमान में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए, मतदान केन्द्रों में किसी भी प्रकार के लेआउट संबंधी परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देने के साथ-साथ डिज़ाइन में अतिरिक्त सुधारों के संबंध में सुझाव दें। वीवीपीएटी निर्वाचन याचिका से मुक्त होने के उपरांत विनिर्माताओं को एक विस्तृत तकनीकी विश्लेषण करने के लिए भी कहा गया है (क्योंकि 45 दिनों तक निर्वाचन याचिका अवधि समाप्त होने तक इन्हें स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और इस समय इन्हें उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है)। आयोग ने क्या करें और क्या नहीं करें से संबंधित अपनी मानक प्रचालन प्रक्रिया को दोहराने का निर्णय लिया है और मानक प्रचालन प्रक्रिया के और ज्यादा सुदृढ़ीकरण की जांच करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। आयोग ने प्रथम स्तरीय जांच प्रक्रिया को और कड़ा बनाने का निर्णय भी लिया है। आयोग ने अत्यधिक तापमान के कारण वीवीपीएटी के ऑटो शटडाउन को रोकने के लिए टीईसी द्वारा अनुशंसित हार्डवेयर सुधार को भी अपनाया है। आयोग ने निदेश दिया है कि मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण को और अधिक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित किया जाए ताकि मानवीय त्रुटियों के कारण होने वाली खराबियों को कम किया जा सके।

(पवन दीवान)
अवर सचिव